छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 250 **M-COM-2019-00506**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3'', प्रमोटर–श्री अजय सिंह ठाकुर, पता–32, राजकिशोर नगर, लिंग्याडीह, साउथ ईस्टर्न कोल लिमि., जिला–बिलासपुर (छ.ग) प्रोजेक्ट–'' व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3''

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
30/10/2021	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3'' पंजीयन क्रमांक– **PCGRERA160718000559** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण करने हेतु लगातार समय की मांग की है। अनावेदक के आग्रह पर प्राधिकरण ने अद्यतन पूर्ण करने हेतु अनावेदक को समुचित अवसर भी प्रदान किया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रोजेक्ट संबंधी दस्तावेजों के अध्ययन से यह दर्शित होता है कि अनावेदक को विवादित प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिनाँक 07.08.2019 को प्राप्त हो चुका है। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक को वेबपोर्टल पर त्रैमासिक अद्यतन अपलोड करने तथा वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018–2019 व वर्ष 2019–2020 प्रस्तुत करने में हुये विलंब हेतु लगाई गई विलंब शुल्क में भी प्रोजेक्ट का विकास कार्य	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 250 **M-COM-2019-00506**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3'', प्रमोटर–श्री अजय सिंह ठाकुर, पता–32, राजकिशोर नगर, लिंग्याडीह, साउथ ईस्टर्न कोल लिमि., जिला–बिलासपुर (छ.ग) प्रोजेक्ट–'' व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3''

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	पूर्ण हो जाने के कारण 65 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। हॉलाकि अनावेदक ने त्रैमासिक अद्यतन संबंधी जानकारियॉं वेबपोर्टल पर प्रस्तुत कर दी है। परन्तु अनावेदक द्वारा आज दिनॉंक तक उपरोक्तानुसार उल्लेखित वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अनावेदक का उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4(2)(I)(D) का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–60 में प्रोजेक्ट लागत के 5 प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। लेकिन अनावेदक को प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के कारण अनावेदक पर वर्तमान में कोई शास्ति अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अनावेदक को उपरोक्त उल्लेखित लंबित रिपोर्ट्स अपलोड करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया जाता है। यदि अनावेदक द्वारा उक्त अवधि में भी रिपोर्ट्स वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं की गई, तो अनावेदक पर शास्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार कठोर कार्यवाही किया जाना उचित होगा। – उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :– 1. प्रमोटर/अनावेदक, दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट के पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने की दिनॉंक तक लंबित वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट्स विलंब शुल्क सहित वेबपोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही/– (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य सही/– (विवेक ढॉंड) अध्यक्ष	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 250 **M-COM-2019-00506**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3'', प्रमोटर–श्री अजय सिंह ठाकुर, पता–32, राजकिशोर नगर, लिंग्याडीह, साउथ ईस्टर्न कोल लिमि., जिला–बिलासपुर (छ.ग) प्रोजेक्ट–'' व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3''

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 250 **M-COM-2019-00506**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3'', प्रमोटर–श्री अजय सिंह ठाकुर,
पता–32, राजकिशोर नगर, लिंग्याडीह, साउथ ईस्टर्न कोल लिमि.,
जिला–बिलासपुर (छ.ग) प्रोजेक्ट–'' व्ही.आई.पी. सिटी फेस–3''

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर